अत्यावश्यक
ई-मैल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक–2प/पं०स०भ०/09–16/2024/4953/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

आनन्द शर्मा, भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सुन्नी वक्फ बोर्ड,
हज भवन, पटना।

पटना, दिनांक: 07/4/2025

विषय :– पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के संबंध में।

प्रसंग :– जिला पदाधिकारी, कटिहार का पत्रांक–545 दिनाक–10.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के संबंध में अनुरोध किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०सं०	जिला	प्रखंड	पंचायत	मौजा	खाता सं०	खेसरा सं०	प्रस्तावित रकवा	जिला पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक
1.	बारसोई	सुधानी	मालौर	मालौर	130	727	0.50 एकड़	545/ 10.03.2025

ज्ञातव्य हो कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–281 दिनांक–08.01.2024 की कंडिका–(ii) में उल्लेखित है कि "यदि गैरमजरूआ आम या गैरमजरूआ खास जमीन उपलब्ध न हो तो अन्य सरकारी विभागों की उन पंचायतों में उपलब्ध भूमि को चिह्नित कर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाए।"

उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–359(6)/रा० दिनांक–19.05.2014 तथा पत्रांक–82(6)/रा० दिनांक–23.01.2015 में प्रावधानित है कि राज्य सरकार के विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 03 एकड़ तक सरकारी/गैरमजरूआ आम भूमि अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण के पूर्व भू–स्वामित्व रखने वाले विभाग (सरकारी विभाग) से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त समाहर्त्ता स्तर से निःशुल्क हस्तांतरण किया जा सकेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–04.02.2025 को पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से संबंधित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2459 दिनांक–11.02.2025 के कंडिका 2 I (g) के माध्यम से निदेशित किया गया है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अन्तर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के मामले में जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भूमि हस्तांतरण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए

विभाग स्तर से हस्तांतरण की कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदित करेंगे ताकि संबंधित विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय स्थापित कर विभागीय भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

अतएव प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के बिन्दु पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/4953 पं०रा० **पटना, दिनांक 07/4/2025**
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/4953 पं०रा० **पटना, दिनांक 07/4/2025**
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/4953 पं०रा० **पटना, दिनांक 07/4/2025**
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/4953 पं०रा० **पटना, दिनांक 07/4/2025**
प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा) 03/04
निदेशक

पत्रांक ( )/ 545/पं०

समाहरणालय, कटिहार।

(जिला पंचायत प्रशाखा)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

कटिहार–09, दिनांक– 10 / 03 / 2025

विषय : पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु चयनित भूमि की सूचना प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 10956/पं०रा०, दिनांक–12.10.2023 एवं पत्रांक–281/पं०रा०, दिनांक–08.01.2024 एवं अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–95, दिनांक–01.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्राप्त विभागीय निदेश के आलोक में जिले में शेष पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन किया जा रहा है। उस क्रम में वर्तमान में 07 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु विभागीय मानक के अनुरूप उपयुक्त भूमि का चयन किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	चयनित ग्राम का नाम	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अमदाबाद	लखनपुर	दिल्ली दिवानगंज	दिल्ली दिवानगंज	223	266	1174	0.31.330 एकड़	बनहर–2
2	कदवा	गधाईपुर	विद्यानंदपुर	विद्यानंदपुर	347	424	480	0.26.400 एकड़	रास्ता
3	कदवा	चीनी	रौनिया	रौनिया	231	52, 53	59,213,60	0.55 एकड़	पुरानी परती / रास्ता
4	बलरामपुर	लोहागड़ा	लोहागड़ा	लोहागड़ा	28	311	1155	0.18.365 एकड़	गडडा
5	बारसोई	सुधानी	मालौर	मालौर	634	130	727	0.50 एकड़	पुरानी परती (सुन्नी वक्फ बोर्ड)
6	कुर्सेला	पूर्वी मुरादपुर	बसुहार	बसुहार	286	789	1078	0.26 एकड़	भीठ–2
7	प्राणपुर	धरहन	दिघीच	दिघीच	172	246	188	0.28.500 एकड़	पुरानी परती

क्रम संख्या 5 पर अंकित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड की है जिस पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु सुन्नी वक्फ बोर्ड से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

Scanned with CamScanner

(33)

समाहरणालय, कटिहार।

राजस्व प्रशाखा

सुमन प्रसाद साह, बि०प्र०से०
अपर समाहर्त्ता, कटिहार।
☎:– 06452–239635
📱:– +91–9473191376
E-Mail-adm.rev.katihar@gmail.com

पत्रांक :(सं०सं० 11–12(7)/25)........................./रा०, दिनांक : ....

सेवा में,

जिला अवर निबंधक, कटिहार।
अवर निबंधक, मनिहारी।

विषय :– कटिहार जिला अन्तर्गत, अमदाबाद अंचल के ग्राम पंचायत राज, लखनपुर में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु रैयती भूमि महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम निःशुल्क निबंधन के संबंध में।

प्रसंग :– अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी का पत्रांक 123/रा०, दिनांक 13.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा विषयांकित पंचायत सरकार भवन, लखनपुर के निर्माण हेतु निम्नांकित विवरणी की रैयती भूमि महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार के नाम निःशुल्क निबंधन के लिए दान पत्र प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी की अनुशंसा सहित अभिलेख सं० 01/2024–25 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

अंचल	मौजा	थाना	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा
अमदाबाद	दिल्ली दिवानगंज	223	266	1174	0.31.330 एकड़

संबधित संचिका सं० 11–12(07)/25 में दिनांक 18.02.2025 को समाहर्त्ता महोदय के द्वारा विषयांकित निर्माण कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि, महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम निबंधन हेतु स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क से मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अपर समाहर्त्ता,
कटिहार।

ज्ञापांक– 354 /रा०, दिनांक– 21.02.25

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रश्नगत भूमि के निबंधन हेतु अंचल अधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु संबंधित पंचायत राज विभागीय पदाधिकारी को अपने स्तर से प्राधिकृत करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, अमदाबाद को सभी संलग्न दस्तावेज सहित अभिलेख सं० 01/2024–25 मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे दान–पत्र निबंधन के पश्चात् जमाबंदी कायम कर शीघ्र प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– भूमि दानकर्त्ता श्रीमती श्वेता राय, पति–स्व० संजीव राय, साकिन दिल्ली दिवानगंज, अमदाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
कटिहार।

Scanned with CamScanner